प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/212864/BRL/BAREILLY/4791/CFO

दिनांक: 07-08-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MOTHERS PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **GATA NO-96,VILL-JAAMSABANT JANUBI RICHHA,BAHERI** तहसील - **BAHERI**, प्लाट एरिया **3440 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **4706.28** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	15 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **MOTHERS PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **12-08-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Rajesh Singh Yadav** के साथ किया गया। भवन मे अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **13-08-2026** से **12-08-2031** तक **5** वर्षो के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **MOTHERS PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **MOTHERS PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या के क्रम में एन बी सी एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों के आधार पर निर्गत। 1.अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे। 2.फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0 / मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये। 3.विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4. सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी। यदि उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वत निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(Manu Sharma)
[15CAEACD09BF10E931F2557951ADE5E005EBE210]
13-08-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 13-08-2026
स्थान : BAREILLY

SMT. MALTI DEVI MEMORIAL TRUST ★ BAREILLY